जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर दिनांक 24.07.2025

# थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 414/25 धारा 296/352/351(2)/123/64(1)/318(4)/336(3) बीएनएस व 03 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

## संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.07.2025 को वादी द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि कस्बा चांदपुर के मौहल्ला चाहसंग में फारुख अंसारी नामक व्यक्ति अवैध रूप से सिलेंडर में गैस भरने व इलेक्ट्रनिक आइटम बेचने की दुकान करता है। उक्त फारुख अंसारी का पुत्र आरिफ देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है तथा आरिफ उपरोक्त कई वर्षो से हिन्दु नाम व पहचान का उपयोग करके हिन्दु लडकियों को अपने जाल में फसाता है और उनका धर्मान्तरण कराकर विदेश भेजने का कार्य करता है। इसी उद्देश्य से आरिफ अंसारी उपरोक्त ने एक लडकी का पासपोर्ट अप्लाई कराया था, जिसकी जानकारी पासपोर्ट जांच के दौरान सामने आयी। साथ ही आरिफ के मोबाइल में आती जाती लडकियों की फोटो भी मिले है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 414/25 धारा 296/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

पीडिता ने अपने बयानो में बताया कि अभियुक्त आरिफ द्वारा अपनी वैगनार कार से अलग-अलग स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म करने तथा धर्मपरिवर्तन करने का दबाब बनाने का आरोप लगाया है। पीडिता के फोटो लगे हुये अलग-अलग नाम के 02 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुये है। **पीडिता के कथनो तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 123/64(1)/318(4)/336(3) बीएनएस व 03 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की वृद्धि की गयी है।**

## कार्यवाही-

आज दिनांक 24.07.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त आरिफ पुत्र फारुख अंसारी निवासी मौ0 चाहसंग कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आरिफ पुत्र फारुख अंसारी निवासी मौ0 चाहसंग कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

**अभियुक्त से बरामदगी का विवरणः-**

1- एक मोबाइल फोन (IQOOZ3)

2- घटना में प्रयुक्त एक वैगनार कार (DL3CBJ-4699), जिससे पीडिता को ले जाया गया तथा उसके साथ गलत काम किया गया।

3- 02 फर्जी आधार कार्ड, जिसमें पीडिता का फोटो लगा है तथा दोनो में अलग-अलग मुस्लिम नाम अंकित है।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त -**

मु0अ0सं0 623/24 धारा 351(3),352 BNS व 3(2)(5A) SC/ST ACT थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

मु0अ0सं0 414/25 धारा 296/352/351(2)/123/64(1)/318(4)/336(3) बीएनएस व 03 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –**

श्री संजय कुमार , थाना प्रभारी चांदपुर जनपद बिजनौर।

आरक्षी जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

आरक्षी अर्जुन सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

आरक्षी सौरभ पंवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट - थाना बढापुर दिनांक 24.07.2025**

**थाना बढापुर क्षेत्रान्तर्गत सोशल मीडिया में प्रसारित वीडियो में पुलिस टीम पर लगाये गये आरोपो के संबंध में बिजनौर पुलिस पूर्णत: खंडन करती है तथा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया है।**

**संक्षिप्त विवरण –**

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 21.07.2025 को वादी श्री विकास कुमार, वनरक्षक, साहूवाला रेंज बढापुर ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि वनपुलिसकर्मियों की टीम ग्राम मदपुरी में नदी के किनारे राजकीय कन्या इंटर कालेज मदपुरी के सामने पहुँचे तो जंगल की ओर से सामने से आती हुयी एक पिकअप गाडी (यूपी23एटी7327) दिखाई दी । प्रतिबंधित लकडी होने का शक होने पर वनपुलिसकर्मियो द्वारा रूकने का इशारा किया तो गाडी नही रूकी व गाडी वालों ने मिलकर गाली गलौच करते हुये सरकारी कार्य में बाधा डालते हुये जान से मारने की नियत से फायर किया और तेजी से गाडी लेकर भागने लगे, जिसमें खैर की लकडी भरी थी। गाडी को पुनः रोकने का प्रयास एवं पीछा किया तो अभियुक्तगण गाडी को छोडकर भाग गये। जैसे ही वनपुलिसकर्मी द्वारा गाडी व अवैध लकडी को कब्जे में लेने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तगण 1- कृपाल सिंह पुत्र सुरजन सिंह 2- छिन्दर पुत्र कृपाल उर्फ पाला 3- दीपक पुत्र डंपी 4- सुखविन्दर पुत्र शेर सिंह निवासी गण ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर व अन्य अज्ञात व्यक्ति मौके पर आ गये, जिन्होने पुनः गाली गलौच करते हुये जान से मारने की नियत से फायर किया और गाडी व प्रतिबंधित लकडी लेकर भाग गये।

तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 119/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/132/121(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 26/41/42 भारतीय वन अधि0 बनाम 10 नफर नामजद व 50-60 अज्ञात पंजीकृत किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा नामित अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गयी तथा अभियुक्तगणों द्वारा गिरफ्तारी में पुलिस टीम का सहयोग नही किया गया तथा अपनी गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर प्रसारित किया गया। उपरोक्त प्रकरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि बिजनौर पुलिस द्वारा किसी के साथ कोई अभद्रता नही की गयी तथा समस्त कार्यवाही विधिसम्मत व नियमानुसार करते हुये 02 अभियुक्तगणो कृपाल सिंह पुत्र सुरजन सिंह व रानाकौर उर्फ भजनकौर पत्नी डमपी उर्फ अमरजीत सिंह निवासीगण ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है।

**सोशल मीडिया में प्रसारित वीडियो में लगाये गये आरोपो के संबंध में** बिजनौर पुलिस पूर्णत: **खंडन करती है** और यह स्पष्ट करती है कि संपूर्ण कार्यवाही **नियमानुसार एवं निष्पक्ष रूप से** की गयी है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-**

1. कृपाल सिंह पुत्र सुरजन सिंह निवासी मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
2. रानोकौर उर्फ भजनोकौर पत्नी डमपी उर्फ अमरजीत सिंह निवासी ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त कृपाल सिंह उपरोक्त -**

1-मु0अ0सं0 119/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/132/121(1)/115(2)/ 352/351(2) बीएनएस व 26/41/42 भारतीय वन अधि0 थाना बढापुर बिजनौर।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्ता रानौकौर उपरोक्त-**

1-मु0अ0सं0 119/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/132/121(1)/115(2)/ 352/351(2) बीएनएस व 26/41/42 भारतीय वन अधि0 थाना बढापुर बिजनौर।

2-मु0अ0सं0 67/21 धारा 60(2)/72 आबकारी अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1.व0उ0नि0 संजय कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 अजय कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 1922 श्याम कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
4.आरक्षी 50 मुकुल थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
5.आरक्षी 1140 अंकित थाना बढापुर जनपद बिजनौर
6.महिला आरक्षी 2613 अन्जू रानी थाना बढापुर जनपद बिजनौर

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद** **दिनांक 24.07.2025**

**थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 257/2025 धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।**

## संक्षिप्त विवरणः-

अवगत कराना है कि दिनांक 23.07.2025 को वादिया कांतिदेवी पत्नी स्व0 कमल सिंह निवासी ग्राम कोटा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि उसका पुत्र अमित सागर भारतीय सेना मे पिछले 12 वर्षो से कार्यरत है, जोकि पिछले कुछ वर्षो से थाना नजीबाबाद की आदर्श नगर कॉलोनी मे ममता नामक महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप मे रह रहा था। दिनांक 15.07.2025 को वादिया के पास मकान मालिक अनुज विश्नोई ने फोन कर बताया कि अमित सागर की तबीयत खराब हो गई है, जिसे उपचार हेतु पूजा अस्पताल मे लेकर गए, जहां चिकित्सक ने अमित को मृत घोषित कर दिया। ममता व उसका भाई योगेश एवं वादिया का पोता सन्दीप, अमित के शव को लेकर वादिया के घर ग्राम कोटा जनपद अमरोहा लेकर आ गए। इस संबंध मे वादिया द्वारा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा पुलिस को सूचना दी गई। तदोपरान्त थाना रजबपुर पुलिस द्वारा वादिया के बेटे अमित का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे मृत्यु का कारण (strangulation) अंकित आया।

वादिया की तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 257/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम ममता उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

## कार्यवाही-

आज दिनांक 24.07.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता ममता पत्नी सुभाष निवासी मौ0 आदर्श नगर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

## पूछताछ का विवरण-

प्रारंभिक पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ममता वर्ष 2022 से मृतक अमित सागर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। अमित शराब का आदी था और ममता के साथ अक्सर मारपीट व गाली-गलौच करता था, जिससे ममता मानसिक रूप से अत्यंत परेशान रहती थी। दिनांक 15.07.2025 को खाने को लेकर अमित व ममता के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद अमित ने ममता का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया। विवाद के दौरान मकान मालकिन और उनके बेटे ने दोनों को शांत कराया, उसी समय अमित के भतीजे संदीप ने बताया कि चाचा फांसी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ममता, मकान मालकिन, उनके बेटे और संदीप के साथ ऊपर पहुँची और दरवाज़ा खोलकर अमित को फंदे से उतारा गया, उस समय उसकी सांसें चल रही थीं। इसके बाद ममता ने भतीजे संदीप को टमाटर लाने के बहाने बाहर

भेजा और जल्दी लौटने पर मकान मालिक के बेटे के साथ फिर भेज दिया। इस दौरान अकेले मिलने पर ममता ने मौका पाकर अपने हाथों से अमित का गला दबाकर हत्या कर दी, ताकि घटना आत्महत्या प्रतीत हो।

ममता ने स्वीकार किया कि अमित ने उसका वैवाहिक जीवन खराब कर दिया था और वह उससे छुटकारा पाना चाहती थी तथा हत्या को आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया गया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

ममता पत्नी सुभाष निवासी मौ0 आदर्शनगर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1- उ0नि0 श्री अन्नू कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2- म0उ0नि0 पायल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3- का0 236 रोहित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

4- म0का0 2154 निधि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

**प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 24.07.2025**

**“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना शेरकोट पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा वादी के पुत्र के साथ गाली-गलौंच व मारपीट करने वाले 04 अभियुक्तों को 04 वर्ष के कारावास व कुल 38,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।**

**कार्यवाहीः–**

अवगत कराना है कि वादिया द्वारा थाना शेरकोट पर तहरीर दी गयी थी कि अभियुक्तगण 1.अर्जुन 2.कृष्णपाल 3.जोनी पुत्रगण सौनाथ 4.राजा पुत्र संजय समस्त निवासीगण मौ0 समना सराय थाना शेरकोट जनपद बिजनौर द्वारा उसके पुत्र के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 259/23 धारा 308/323/325/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 24.07.2025 को मा0 न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायालय,बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 259/23 धारा 308/34/323/325/506 भादवि के सभी अभियुक्तों 1.अर्जुन 2.कृष्णपाल 3.जोनी 4.राजा को 04 वर्ष के कारावास व कुल 38,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-**

1.अर्जुन पुत्र सौनाथ निवासी मौ0 समना सराय थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2.कृष्णपाल पुत्र सौनाथ निवासी मौ0 समना सराय थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3.जोनी पुत्र सौनाथ निवासी मौ0 समना सराय थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
4.राजा पुत्र संजय समस्त निवासी मौ0 समना सराय थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

## जनपद बिजनौर

## प्रेस नोट– थाना धामपुर दिनॉक 24.07.2025

**थाना धामपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 278/25 धारा 76/64/62/351(3) बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधि0 में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण–**

दिनांक 22.07.2025 को वादी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अमित कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी गाम जट नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.अंकुर कुमार पुत्र रामधन सिंह निवासी ग्राम सेढी थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री एवं भतीजी के कपडे फाडे व गलत काम करने का प्रयास किया तथा जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 278/25 धारा 76/64/62/351(3) बीएनएस 7/8 पोक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही–**

आज दिनांक 24.07.2025 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.अमित कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी गाम जट नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.अंकुर कुमार पुत्र रामधन सिंह निवासी ग्राम सेढी थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–**

1.अमित कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी गाम जट नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2.अंकुर कुमार पुत्र रामधन सिंह निवासी ग्राम सेढी थाना धामपुर जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1.उ0नि0 हरिओम गौतम थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी 2030 विशाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 326 विपिन थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

# जनपद बिजनौर

## प्रेस नोट– थाना अफजलगढ      दिनॉक 24.07.2025

**थाना अफजलगढ पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 222/25 धारा 115(2)/105 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण–**

दिनांक 23.07.2025 को वादी मौ0 फैज पुत्र रफीक निवासी मौ0 नायक सराय थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्त साहिल पुत्र मुस्तफा से वादी की कहासूनी हो गयी तभी अभियुक्त मुस्तफा पुत्र नत्थू व फरजाना पत्नी मुस्तफा आये और वादी के भाई कैफ के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान वादी के पिता रफीक अहमद वहां पहुंचकर इन्हे समझाने लगे जहां अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता के साथ धक्का मुक्की व मारपीट की, जिससे वादी के पिता घबराकर बेहोश हो गये। जिन्हे तत्काल सीएचसी अफजलगढ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 222/25 धारा 115(2)/105 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही–**

आज दिनांक 24.07.2025 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मुस्तफा पुत्र नत्थू निवासी मौ0 नायक सराय थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–**

1. मुस्तफा पुत्र नत्थू निवासी मौ0 नायक सराय थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

**आपराधिक इतिहास –**

1.मु0अ0सं0 154/14 धारा 323/354ए/506 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2.मु0अ0सं0 222/25 धारा 115(2)/105 बीएनएस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1.थानाध्यक्ष सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 2502 विशाल मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
4.आरक्षी 943 रजनीश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट– थाना नूरपुर** **दिनॉक 24.07.2025**

**थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 251/25 धारा 137(2)/65(1)/351(3) बीएनएस व 3(2)(5) एसीएसटी एक्ट व 3/4(2) पोक्सो अधि0 से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण–**

दिनांक 22.07.2025 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी दिनांक 22.07.2025 को वादी की पुत्री दुकान पर कोल्ड ड्रिन्क लेने गयी थी। दुकान पर पहले से मौजूद अभियुक्त जुवैद पुत्र युसुफ निवासी ग्राम कुण्डा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को खाली घर में ले गया व उसके साथ गलत काम किया तथा किसी को बताने पर वादी की पुत्री को जातिसूचक शब्दो को प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 251/25 धारा 137(2)/65(1)/351(3) बीएनएस व 3(2)(5) एसीएसटी एक्ट व 3/4(2) पोक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही–**

आज दिनांक 24.07.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त जुवैद पुत्र युसुफ निवासी ग्राम कुण्डा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–**

1. जुवैद पुत्र युसुफ निवासी ग्राम कुण्डा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1.उ0नि0 श्री रामपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2.मुख्य आरक्षी 536 सुमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 1052 अर्जुन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट– थाना बढापुर** **दिनॉक 24.07.2025**

## थाना बढापुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 119/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/132/ 121(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस व धारा 26/41/42 भारतीय वन अधि0 में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

**संक्षिप्त विवरण–**

दिनांक 21.07.2025 को वादी श्री विकास कुमार, वनरक्षक, साहूवाला रेंज बढापुर ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि वनपुलिसकर्मियों की टीम ग्राम मदपुरी में नदी के किनारे राजकीय कन्या इंटर कालेज मदपुरी के सामने पहुँचे तो जंगल की ओर से सामने से आती हुयी एक पिकअप गाडी (यूपी23एटी7327) दिखाई दी। प्रतिबंधित लकडी होने का शक होने पर वनपुलिसकर्मियो द्वारा रूकने का इशारा किया तो गाडी नही रूकी व गाडी वालों ने मिलकर गाली गलौच करते हुये सरकारी कार्य में बाधा डालते हुये जान से मारने की नियत से फायर किया और तेजी से गाडी लेकर भागने लगे, जिसमें खैर की लकडी भरी थी । गाडी को पुनः रोकने का प्रयास एवं पीछा किया तो अभियुक्तगण गाडी को छोडकर भाग गये। जैसे ही वनपुलिसकर्मी द्वारा गाडी व अवैध लकडी को कब्जे में लेने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तगण 1.कृपाल सिंह पुत्र सुरजन सिंह 2.छिन्दर पुत्र कृपाल उर्फ पाला 3.दीपक पुत्र डंपी 4.सुखविन्दर पुत्र शेर सिंह निवासी गण ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर व अन्य अज्ञात व्यक्ति मौके पर आ गये, जिन्होने पुनः गाली गलौच करते हुये जान से मारने की नियत से फायर किया और गाडी व प्रतिबंधित लकडी लेकर भाग गये ।

तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 119/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/132/121(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 26/41/42 भारतीय वन अधि0 बनाम 10 नफर नामजद व 50–60 अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

**कार्यवाही–**

आज दिनांक 24.07.2025 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.कृपाल सिंह पुत्र सुरजन सिंह 2.रानोकौर उर्फ भजनोकौर पत्नी डमपी उर्फ अमरजीत सिंह निवासीगण ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. कृपाल सिंह पुत्र सुरजन सिंह निवासी मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
2. रानोकौर उर्फ भजनोकौर पत्नी डमपी उर्फ अमरजीत सिंह निवासी ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर

## आपराधिक इतिहास अभियुक्त कृपाल सिंह उपरोक्त –

1–मु0अ0सं0 119/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/132/121(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 26/41/42 भारतीय वन अधि0 थाना बढापुर बिजनौर।

## आपराधिक इतिहास अभियुक्ता रानौकौर उपरोक्त–

1–मु0अ0सं0 119/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/132/121(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 26/41/42 भारतीय वन अधि0 थाना बढापुर बिजनौर।

2–मु0अ0सं0 67/21 धारा 60(2)/72 आबकारी अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.व0उ0नि0 संजय कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 अजय कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 1922 श्याम कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
4.आरक्षी 50 मुकुल थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
5.आरक्षी 1140 अंकित थाना बढापुर जनपद बिजनौर
6.महिला आरक्षी 2613 अन्जू रानी थाना बढापुर जनपद बिजनौर